

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान
दावा संख्या 18/19 दायरा दिनांक 23.12.2019

पीठासीन अधिकारी - श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

- 1-नारायण पुत्र भगवानलाल जाति काछी (माली) निवासी हनोटिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
2-मुरारी पुत्र भगवानलाल जाति काछी (माली) निवासी हनोटिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 वादीगण

बनाम

- 1-मादू पुत्र जीवनलाल जाति काछी (माली) निवासी हनोटिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 फोट दिनांक 26.02.2020
1/1-विशन पुत्र मादू जाति काछी (माली) निवासी हनोटिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
1/2-प्रकाश पुत्र मादू जाति काछी (माली) निवासी हनोटिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
1/3-हरिओम पुत्र मादू जाति काछी (माली) निवासी हनोटिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
1/4-पुरुषोत्तम पुत्र मादू जाति काछी (माली) निवासी हनोटिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
1/5-अनीता पुत्री मादू जाति काछी (माली) निवासी हनोटिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
1/6-ऊषा पुत्री मादू जाति काछी (माली) निवासी हनोटिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
1/7-हल्कीबाई पत्नि मादू जाति काछी (माली) निवासी हनोटिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
2-ग्यारसा पुत्र जीवनलाल जाति काछी (माली) निवासी हनोटिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
3-लक्षमणलाल पुत्र जीवनलाल जाति काछी (माली) निवासी हनोटिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
4-कंचनलाल पुत्र जीवनलाल जाति काछी (माली) निवासी हनोटिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
5-सन्ती पुत्री जीवनलाल पत्नि स्व. धन्ना जाति काछी (माली) निवासी हाल शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
6-सावो पुत्री जीवनलाल पत्नि स्व. रामदयाल जाति काछी (माली) निवासी हाल पुरैनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
7-भागवती पुत्री जीवनलाल पत्नि हरज्ञान जाति काछी (माली) निवासी हाल शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
8-फूलां पत्नि जीवनलाल जाति काछी (माली) निवासी हनोटिया तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0 -फोट
9-स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला-बारां राजस्थान प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट

अंतिम निर्णय दिनांक - 31.07.2025

31.07.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपरिस्थित -

वादीगण की ओर से - श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से - श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट

उक्त उनवानी वाद को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2019 से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 10 रकबा 7.00 बीघा, ख0नं0 36 रकबा 5.08 बीघा, ख0नं0 37 रकबा 5.06 बीघा, ख0नं0 126 रकबा 2.09 बीघा, ख0नं0 126/306 रकबा 2.05 बीघा, ख0नं0 126/307 रकबा 2.01 बीघा, ख0नं0 126/308 रकबा 1.16 बीघा, ख0नं0 149 रकबा 1.01 बीघा, ख0नं0 150 रकबा 0.05 बीघा, ख0नं0 151 रकबा 0.01 बीघा, ख0नं0 152 रकबा 0.02 बीघा, ख0नं0 153 रकबा 0.02 बीघा, ख0नं0 154 रकबा 0.11 बीघा, ख0नं0 155 रकबा 0.16 बीघा, ख0नं0 156 रकबा 0.18 बीघा, ख0नं0 157 रकबा 0.16 बीघा, ख0नं0 158 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 207 रकबा 0.08 बीघा किता 18 कुल रकबा 31.15 बीघा ग्राम हनोतिया तहसील शाहाबाद में से वादीगण हिस्सा 1/2 का विभाजन अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना में दिनांक 17.04.2025 को तहसीलदार शाहाबाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया, जिसे उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया जाकर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। तहसीलदार शाहाबाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है-

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
1-	नारायण मुरारी पुत्र भगवानलाल जाति काछी सा. देह नामा.नं. 272 से नारायण मुरारी का हि.1/2 रहन एच के जी बी साखा देवरी	10 उत्तरी 36 126 126/308 149 150 152 153 154 158 207	3.10 बीघा	बा.तृ.	
		उत्तरी			
		36	5.08 बीघा	बा.तृ.	
		126	2.09 बीघा	बा.तृ.	
		126/308	1.16 बीघा	बा.तृ.	
		149	1.01 बीघा	चाही1	
		150	0.05 बीघा	बंजड	
		152	0.02 बीघा	चाही1	
		153	0.02 बीघा	गै.मु.चाह	
		154	0.11 बीघा	चाही1	
		158	0.10 बीघा	चाही1	
		207	0.04 बीघा	खेडा2	
		उत्तरी			
		किता 11	कुल 15.18 बीघा		

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
2-	विशन प्रकाश हरिओम पुरुषोत्तम पुत्र अनीताबाई ऊषा पुत्रियां हल्कीबाई पत्नि माटू हि.1/4 ग्यारसा लक्ष्मणलाल कंचनलाल पुत्र जीवनलाल कोम काछी सा.देह हि.3/4 नामा.नं.416से ग्यारसा का हि. रहन बी आर के जी बी साखा देवरी	10/1 दक्षिणी 37 126/306 126/307 155 156	3.10 बीघा	बा.तृ.	
		37	5.06 बीघा	बा.तृ.	
		126/306	2.05 बीघा	बा.तृ.	
		126/307	2.01 बीघा	बा.तृ.	
		155	0.16 बीघा	जाव1	
		156	0.18 बीघा	जाव1	

31.07.2025

157	0.16	बीघा	चाही1
207/1	0.04	बीघा	खेडा2
दक्षिणी			
151	0.01	बीघा	गै.मु.चाह
किता 9 कुल			15.17 बीघा

अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर ग्राम हनोतिया तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी ख0नं0 10 रकबा 7.00 बीघा, ख0नं0 36 रकबा 5.08 बीघा, ख0नं0 37 रकबा 5.06 बीघा, ख0नं0 126 रकबा 2.09 बीघा, ख0नं0 126/306 रकबा 2.05 बीघा, ख0नं0 126/307 रकबा 2.01 बीघा, ख0नं0 126/308 रकबा 1.16 बीघा, ख0नं0 149 रकबा 1.01 बीघा, ख0नं0 150 रकबा 0.05 बीघा, ख0नं0 151 रकबा 0.01 बीघा, ख0नं0 152 रकबा 0.02 बीघा, ख0नं0 153 रकबा 0.02 बीघा, ख0नं0 154 रकबा 0.11 बीघा, ख0नं0 155 रकबा 0.16 बीघा, ख0नं0 156 रकबा 0.18 बीघा, ख0नं0 157 रकबा 0.16 बीघा, ख0नं0 158 रकबा 0.10 बीघा, ख0नं0 207 रकबा 0.08 बीघा किता 18 कुल रकबा 31.15 बीघा में से वादीगण हिस्सा 1/2 का उपरोक्तानुसार विभाजन स्वीकार किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव अनुसार नामा0 नं0 389 दिनांक 05.01.2019 से खातेदार सन्ति सावो भागवती ने अपने हिस्से का हकत्याग माटू ग्यारसा लक्ष्मणलाल कंचनलाल के हक में कर दिया है, खातेदार फूला की मृत्यु हो जाने से नामा0नं0 355 दिनांक 02.06.2015 से फूला का नाम खाते से खारिज हो चुका है एवं माटू के स्थान पर नामा0नं0 406 दिनांक 21.09.2020 से प्रतिवादीकम 1/1 ता 1/7 के नाम दर्ज हो चुके हैं। इस कारण शेष खाता कम सं0 2 के अनुसार दर्ज किया जावे। वादीगण के विभाजित हिस्सा 1/2 पर तरमीम कर दखल दिया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के विभाजित हिस्सा आराजी 1/2 कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

31.07.2025
 उपखण्ड अधिकारी
 शाहावाद